समाहरणालय, बक्सर
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-995 /आ0
दिनांक 17/09/2021
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(o)
मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,
अनुमण्डल पदाधिकारी,
डुमरॉव।

विषय :– आपत्तिरहित चयनित अभ्यर्थियों को नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के ज्ञापांक 04–807 दिनांक 03.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति चयन हेतु दिनांक 30.07.2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में ज्ञापांक 04–807 दिनांक 03.08.2021 द्वारा 13 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चयनित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु बैठक की कार्यवाही जिले के एन0आई0सी0 वेबसाईट पर प्रकाशित की गई। दावा आपत्ति करने हेतु निर्धारित तिथि के अन्दर कुल 05 चयनित अभ्यर्थियों के विरूद्ध 07 आवेदकों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। शेष 08 अभ्यर्थियों के चयन पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं है, जो निम्नवत् है :–

क्र0	प्रखण्ड	पंचायत/वार्ड	कोटि	चयनित आवेदक का नाम/पता
1	2	3	4	5
1	ब्रह्मपुर	कैथी	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	वीणा कुमारी, पति– विकाश कुमार, कैथी, ब्रह्मपुर
2	डुमरॉव	नुऑव	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	मनोज कुमार, पिता– स्व0 अंगद पाल, धरहरा, नुऑव, डमरॉव
3		सोवा	पिछड़ा वर्ग महिला	पुजा कुमारी, पिता/पति– जयप्रकाश यादव, सोवा, कृष्णाब्रह्म, डुमरॉव
4	सिमरी	राजपुर परसनपाह	अनारक्षित वर्ग	सुग्रीव शर्मा, पिता– देवेन्द्र शर्मा, छोटका राजपुर, राजपुर परसनपाह, सिमरी
5		नियाजीपुर खुर्द	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	पुजा देवी, पति– महेन्द्र प्रसाद तुरहा, नियाजीपुर, सिमरी
6		काजीपुर	अनुसूचित जाति	पुष्पा कुमारी, पिता/पति– अरविन्द कुमार, दुरासन, काजीपुर, सिमरी
7		राजपुर कला	अनारक्षित वर्ग	मो0 सुहेल अली, पिता– मो0 अकबर अली, बड़का राजपुर, राजपुर कला, सिमरी
8	चौगाईं	नचाप	अनारक्षित वर्ग	सुनील कुमार सिंह,पिता– राजेश्वर प्रसाद सिंह, दंगौली, नचाप, चौगाई।

अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव चयनित आवेदकों की उपरोक्त सूची के आधार पर यथासंभव 15 दिनों के अन्दर सशर्त अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। कुछ प्रमुख शर्तें निम्नवत है :–

I. PDS Control order, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्व सुलभ स्थान पर व्यापार स्थल संचालन हेतु नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निदेशित करेंगे तथा इस आशय का सुस्पष्ट एकरारनामा/किरायानामा भी प्राप्त करेंगे।

II. अनुज्ञापन पदाधिकारी नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यथा संभव सभी नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन/किरासन वितरण के लिए पोषण क्षेत्र का निर्धारण करना सुनिश्चित करेंगे तथा यह

भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी उपभोक्ता को राशन/किरासन लेने हेतु 02 कि0मी0 से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े।

III. अनुज्ञापन पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन में उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं सही–सही हैं। उक्त शपथ पत्र में यह भी उल्लेखित होगा कि नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं या उसके किसी निकट संबंधी के पास आटा चक्की नहीं है और न ही उनके परिवार (संयुक्त परिवार) में किसी अन्य संबंधी के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में उनके जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए, अन्य विधि–सम्मत कारवाई भी की जाएगी। संयुक्त परिवार की परिभाषा PDS Control order, 2016 की धारा 11 (i) के अनुसार पठनीय होगी।

IV. अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, डुमरॉव का यह दायित्व होगा कि नवचयनित सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि का सत्यापन सभी संबंधित संस्थाओं से कराना सुनिश्चित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों के मूल आवेदन एवं अभिलेख को स्कैनिंग कर साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी कार्यालय में सुरक्षित रखते हुए संधारित करेंगे एवं उसकी एक प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

V. बैठक में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव को यह भी निदेश दिया गया कि बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर सभी नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सूचना देते हुए एक वितरण समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय सम्मानित जन प्रतिनिधिगण को भी निमंत्रित करेंगे तथा इस सभी प्रक्रियाओं की वीडियोंग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ह0) 16/9/21

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-995 /आ0, दिनांक 17 / 09 /2021

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष एवं सचिव, फेयर प्राईस डीलर्स एसोशिएसन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक डुमरॉव अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सूची को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–सचिव, जिला चयन समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 16/9/21

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।